

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] No. 254] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2018/पौष 29, 1939 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2018/PAUSHA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2018

सं. 07/2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 299(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 22.01.1996 की अधिसूचना सं.04/96 –सीमाशुल्क (गै.टै.) के तहत संशोधित अधिसूचना सं.12/139/59-प्रशा.III ख दिनांक 05.11.62 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं: कथित अधिसूचना में, पैराग्राफ 4 को निम्नलिखित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश :-

"4. एक साल में दिए जाने वाले "प्रशंसा प्रमाणपत्रों" की संख्या पैंतालिस से अधिक नहीं होगी, लेकिन यदि राष्ट्रपति महोदय को लगता हो कि किसी वर्ष में विशेष परिस्थितियों में पैंतालिस से अधिक "प्रशंसा प्रमाणपत्र" न्यायोचित हैं, तो यह संख्या पचास से अधिक नहीं होगी।"

[फा. सं. 394/97/2017-सीमाशुल्क (एएस)] रोहित आनंद, अवर सचिव

386 GI/2018 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2018

No. 07/2018 - Customs (N.T)

S.O. 299(E).—In the Ministry's Notification No. 12/139/59-Ad.III B dated 05.11.62 as amended vide Notification No. 04/96-Custom (N.T.) dated 22.01.1996, the following amendment is made:-

In the said Notification, for the Paragraph 4, the following Para shall be substituted namely:-

"4. The number of "Appreciation Certificates" awarded in one year shall not exceed forty five but if the President considers that special circumstances in any one year justify the award of the "Appreciation Certificates" in excess of the forty five, the number shall not exceed fifty."

[F. No. 394/97/2017-Cus (AS)]

ROHIT ANAND, Under Secy.